[19/2/2024] परिशिष्ट-1

प्रश्न सं. [क्र. 2236]

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
-:: मंत्रालय ::-
वल्लभ भवन भोपाल

व्ही.बी.-III, प्रथम तल, मंत्रालय-462016
☎ 0755-2708536, 2708538 & 2708541
Email – us.mpwrd.bpl@mp.gov.in ; under.secretary2013@gmail.com & under.secretary@yahoo.in

पत्र क्र. 22/02/2023/लघु/31/1598 भोपाल दिनांक- 5/10/2023

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषय :- **"लघु सिंचाई कार्यक्रम" को आगामी 03 वर्ष (दिनांक 31.03.2026) तक की अनुमति बाबत।**

000

मंत्रि-परिषद द्वारा जल संसाधन विभाग की संचालित "लघु सिंचाई कार्यक्रम" को आगामी तीन वर्ष (दिनांक 31.03.2026 तक) निरंतर रखने की दी गई अनुमति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शास एतद् द्वारा लघु सिंचाई परियोजनाओं को आगामी तीन वर्ष (दिनांक 31.03.2026 तक) निरंतर रखने की अनुमति निम्नलिखित मापदण्ड़ों पर प्रदान करता है :-

(अ) तकनीकी मापदण्ड़ :-

परियोजना का प्रकार	नयूनतम जलग्रहण क्षेत्र **(CA)**	न्यूनतम जल भराव क्षमता **(Live Storage)**
जलाशय	03 वर्ग कि.मी.	0.50 मिघमी
स्टॉप डैम/बेराज	60 वर्ग कि.मी.	0.50 मिघमी

(ब) वित्तीय मापदण्ड़ :-

स.क्र.	**परियोजना का प्रकार**	**लागत सीमा**
1.	जलाशय (नहर के साथ)	₹03.50 लाख प्रति हेक्टेयर
2.	जलाशय (बिना नहर)	₹03.00 लाख प्रति हेक्टेयर
3.	स्टॉपडैम/बेराज	₹01.75 लाख प्रति हेक्टेयर

2. सिंचाई की दृष्टि से पिछड़े हुए विकासखण्डों एवं भू-जल उपलब्धता की दृष्टि से ओव्हर एक्सप्लोयटेड, क्रिटीकल एवं सेमीक्रिटीकल विकासखण्ड़ों में जहाँ मध्यम/वृहद परियोजनाएं प्रस्तावित नहीं हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए निर्धारित वित्तीय मापदण्डों में 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।

3. यह आदेश मंत्रि-परिषद के निर्णय आयटम क्रमांक-79 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है ।

(विनोद सिंह टेकाम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

E:\एमपीएस शाखा\MPS-2023\MPS LETTER-2023 (PART-1).docx//राऊत//

पृ. क्र. 22/02/2023/लघु/31/1595 भोपाल दिनांक- 5/10/2023

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
2. निज सचिव, राज्यमंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल ।
5. समस्त मुख्य अभियंता, मध्यप्रदेश, जल संसाधन विभाग ।
6. समस्त अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश, जल संसाधन विभाग ।
7. समस्त कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश, जल संसाधन विभाग ।
8. वैब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वैबसाईड पर प्रकाशित करने हेतु ।

05/10/23

उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग